लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2656

उत्तर देने की तारीखः 09.07.2019

अ.जा. और अ.पि.व. हेतु कल्याणकारी योजनाएं

2656. डॉ. निशिकांत दुबेः

श्री अजय कुमार मंडलः

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार, झारखंड और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि के दुरुपयोग अथवा विपथन की सूचनाएं प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्टैंड-अप-इंडिया योजना;

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की उद्यम निधि योजना;

(iii) अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि योजना का प्रारंभ वर्ष 2014-15 के दौरान किया गया था और 2017-18 के दौरान हाल ही में उक्त योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के उद्यमियों को शामिल किया गया है।

(ख): उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बिहार, झारखंड और गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित/जारी की गई निधि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): राज्य सरकारों से उक्त अवधि के दौरान निधि के दुरुपयोग अथवा अन्यत्र उपयोग के बारे में कोई सूचना इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.): योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित तंत्र विकसित किया गया है :-

(i) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए/सीए) को विहित प्रपत्र में उपयोग संबंधी रिपोर्टें प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं जिसमें लाभार्थियों का नाम, लिंग, वार्षिक पारिवारिक आय, जाति एवं पता, संवितरित राशि, संवितरण का माध्यम, संवितरण की तारीख का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है।

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के नामित व्यक्ति राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की बोर्ड बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं से संबंधित लंबित मुद्दों की समीक्षा करते हैं।

(iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अधिकारियों की राज्य सरकारों तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चैनेलाइजिंग एजेंसियों के अधिकारियों के साथ लंबित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की जाती हैं।

(iv) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/ चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ नियमित अंतराल पर अपनी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

(v) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की क्षेत्रीय कार्यशालाओं में लंबित मामलों की समीक्षा तथा इनका निपटान किया जाता है।

(vi) एनएसएफडीसी के संपर्क केन्द्र आवधिक रूप से एनएसएफडीसी द्वारा वित्तपोषित इकाईयों का निरीक्षण करते हैं तथा इस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

अनुबंध

दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2656 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं के अंतर्गत निधि के आवंटन/संवितरण का ब्यौरा।

क. **स्टैंड-अप-इंडिया (अप्रैल, 2017 में प्रारंभ)**

(i) **वित्त वर्ष 2017-18**

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संवितरित निधि (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	274.91
2	असम	9.46
3	चंडीगढ़	20.00
4	गुजरात	20.00
5	हिमाचल प्रदेश	10.00
6	कर्नाटक	260.54
7	केरल	34.00
8	मध्य प्रदेश	76.16
9	महाराष्ट्र	33.71
10	ओडिशा	19.00
11	तमिलनाडु	14.25
12	तेलंगाना	123.56
13	उत्तर प्रदेश	19.92
14	पश्चिम बंगाल	10.00
	कुल	**925.51**

(ii) **वित्त वर्ष 2018-19**

2018-19 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत एनएसएफडीसी को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ख. **उद्यम निधि योजना (मार्च, 2019 में प्रारंभ)**

इस योजना को मार्च, 2019 में प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत एनएसएफडीसी को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

ग. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि**

योजना की प्रारंभिक पूंजी के लिए 10.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है।

*****